Dr. HONEY SINHA
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce
Sub:- Financial Accounting
Paper:- 1st
SNS RKS College, Saharsa.

Lecture:-31

* B.Com Part-1st *

Sub:- Financial Accounting (Hons)

INTRODUCTION

The Topics of the :-

* Meaning And Definitions of Joint Venture

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से अल्पावधि वाले किसी विशेष व्यापार को करने के लिये अस्थायी साझेदारी करते है तो इसे संयुक्त उपक्रम या संयुक्त साहस (Joint Venture) कहते है। विशेष व्यापार की स्वतः समाप्ति के बाद लेखा कर लाभ की गणना की जाती है और इसे पूर्व निश्चित अनुपात में बाँट लिया जाता है। इस व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों को सह-साहसी (Co-Venturer) कहते है। संयुक्त साहस में फर्म का नाम नही होता है और इसका पंजीकरण भी नही कराया जाता है। अवयस्क संयुक्त साहस का सह-साहसी नही हो सकता है।

Definitions :- जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, फर्म, कम्पनियाँ या अन्य संस्थाएँ संयुक्त जोखिम पर लाभ कमाने के उद्देश्य से समझौता कर निश्चित उद्देश्य युक्त अस्थायी व्यवसाय करते है और लाभ-हानि को पूर्व निश्चित अनुपात में आपस में बाँटते है तो इसे संयुक्त साहस कहते है। संयुक्त साहस के व्यवसाय को

(8)

प्रकृति अस्थायी रहने से यह व्यवसाय के पूरा हो जाने के बाद लाभ के बंटवारे के साथ स्वतः समाप्त हो जाता है।

* Characteristics / Features of Joint Venture * (संयुक्त साहस की विशेषताएँ/लक्षण)

संयुक्त साहस की निम्नलिखित मुख्य परिभाषाएं या लक्षण है :-

1. अस्थायी साझेदारी (Temporary Partnership) - संयुक्त साहस का उद्देश्य (व्यवसाय) पूर्व निश्चित होता है और इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। उद्देश्य को पूरा होते ही संयुक्त साहस का समापन हो जाता है इस कारण इसे अस्थायी साझेदारी कहते है।

2. निश्चित उद्देश्य (Specific object) - संयुक्त साहस को करने का उद्देश्य निश्चित होता है। जैसे, किसी विशेष वस्तु का क्रय-विक्रय, ठेके का कार्य करना, भवन निर्माण करना, अंशों और ऋणपत्रों का अभिगोपन करना आदि। ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिये संयुक्त साहस व्यवसाय उपयुक्त माना गया है।

3. लाभ का अर्जन (Earning of Profit) - संयुक्त साहस व्यवसाय को करने का उद्देश्य लाभ कमाना होता है।

4. लाभ का बटँवारा (Distribution of Profit) - संयुक्त साहस के अर्जित लाभ को सभी सह-साहसी पूर्व निश्चित अनुपात में आपस में बाँट लेते है।

5. फर्म का नाम नहीं (No Name Of Firm) – संयुक्त साहस व्यवसाय के फर्म का नाम नहीं होता है। इस कारण इसका पंजीकरण नहीं होता है।

6. संयुक्त जोखिम (Joint Risk) संयुक्त साहस के जोखिम को सभी साहसी गण संयुक्त रूप से वहन करते हैं।

7. समझौता (Agreement) – संयुक्त साहस की स्थापना दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समझौते के द्वारा होती है।

8. लाभ हानि की गणना का समय (Time of Calculation of Profit & Loss) – संयुक्त उपक्रम के पूरा हो जाने के बाद लाभ-हानि की गणना की जाती है। यदि यह व्यवसाय एक से अधिक वर्षों तक चलता है तो मध्यावधि वार्षिक लाभ-हानि की गणना की जाती है।

9. लेखांकन का आधार (Basis of Accounting) – संयुक्त साहस के लेखांकन का आधार मुद्रा माप अवधारणा (Money Measurement Concept) है। इस कारण नकद लेन-देन का लेखा किया जाता है।

10. व्यक्तियों की संख्या (Number of Persons) – संयुक्त साहस में सम्मिलित व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या दो होती है पर अधिकतम संख्या पर प्रतिबंध नहीं है।

11. अवयस्क की स्थिति (Status of Minor) — संयुक्त साहस में अवयस्क के साथ समझौता अवैध होता है, क्योंकि भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अवयस्क के साथ किया गया अनुबन्ध पूर्णरूपेण व्यर्थ होता है।

12. संयुक्त साहस की समाप्ति (End of Joint Venture) संयुक्त साहस के उद्देश्य या व्यापार के पूरा होने के साथ ही संयुक्त साहस समाप्त हो जाता है। वस्तुतः संयुक्त साहस व्यवसाय का विघटन निश्चित है।

the end

Dr. HONEY SINHA
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce
Sub:- Financial Accounting (Hons)
Paper:- 1st
SNS RKS College,
SAHARSA